

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2026—भाद्र 2, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2026

क्र. 8195—178—इक्कीस—अ (प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अगस्त 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०२६

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, २०२६

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा ४६ का संशोधन.
४. अनुसूची २ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०२६

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२६

[दिनांक १२ अगस्त, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ की उपधारा (५) में, शब्द तथा अंक "६५ वर्ष" के स्थान पर, अंक "६७ वर्ष" स्थापित किए जाएं.

धारा ४६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४६ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(३) जहाँ आयुक्त का यह विचार है कि किसी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन पारित किया गया कोई आदेश, जहाँ तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत है, तो वहाँ वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के समक्ष अपील, ऐसे आदेश की तारीख से दो कलैण्डर वर्ष के भीतर फाईल कर सकेगा."

अनुसूची २ का संशोधन

४. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ के भाग दो में,-

(एक) अनुक्रमांक १०क में, कॉलम (२) में, कोष्ठक, शब्द तथा अंक "(केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ की धारा १४ में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर)" का लोप किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक १०ग का लोप किया जाए;

(तीन) अनुक्रमांक ३० में, कॉलम (२) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:- "पेट्रोलियम क्रूड."

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2026

क्र. 8195-178-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 12 OF 2026

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2026

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 4.
3. Amendment of Section 46.
4. Amendment of Schedule II.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 12 OF 2026

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2026

[Received the assent of the Governor on the 12th August, 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th August, 2026.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy seventh year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2026.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In sub-section (5) of Section 4 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), for the word and figure "65 years", the word and figure "67 years" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

3. In Section 46 of the principal Act, for the sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

Amendment of Section 46.

"(3) Where the commissioner considers that any order passed under sub-section (1) by any Appellate Authority, is erroneous, in so far as it is prejudicial to the interest of the revenue, he may, file an appeal against such order before the Appellate Board, within two calendar years from the date of such order."

4. In part II of the Schedule II of principal Act,-

Amendment of Schedule II.

(i) in serial number 10A, in column (2), the bracket, words and figure "(excluding those as specified in Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956)" shall be omitted;

(ii) serial number 10C shall be omitted;

(iii) in serial number 30, in column (2), for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely:-

"Petroleum Crude."